राजीव शर्मा
आई.ए.एस.
आयुक्त

शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.)
फोन : 07652-245555(का.), 242000 (नि.)
फैक्स : 07652-241222
Email : commshahdolmp.gov.in
अर्द्धशा, पत्र क्रमांक:.........4498.........
शहडोल, दिनांक:...28/10/2022.......

विषय :– अनूपपुर जिले के अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा अधिकार विहीन की जा रही अपराधिक एवं जांच की कार्यवाहियों से भययुक्त रखने बावत्।

सम्माननीय सर

डॉ.श्री.पी.एस.चौहान, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य सचिव, संयुक्त मोर्चा, अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिला अनूपपुर का ज्ञापन क्र. सं.मो./59 अनूपपुर दिनांक 27.10.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन आपकी ओर प्रेषित है। अनूपपुर जिले में स्थिति गंभीर है जैसा कि इस ज्ञापन से भी पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर से प्रभावी एवं त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

संलग्न :– ज्ञापन।

सादर

भवदीय

(राजीव शर्मा)

श्री इकबाल सिंह बैस,
मुख्य सचिव,
म0प्र0शासन, मंत्रालय, भोपाल।

Scanned with CamScanner

संयुक्त मोर्चा

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिला-अनूपपुर

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
श्री कमलेश पुरी	डा.व्ही.पी.एस.चौहान	श्री बी.पी.तिवारी
एस.डी.एम.	उपसंचालक,पशुपालन	9425831839
7587966204	9009243656	

डा.व्ही.पी.एस.चौहान
अध्यक्ष
म.प्र.राजपत्रित
अधिकारी संघ
9009243976
★
श्री विजय डेहरिया
अध्यक्ष
राज्य प्रशासनिक सेवा
अधिकारी संघ
8827011150
★
श्री बी.पी.तिवारी
अध्यक्ष
म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ
9425808980
★
श्री डी.आर.बांधव
अध्यक्ष
अज्जाक्स संघ
9425854466
★
श्री भागीरथी लहरे
अध्यक्ष
राजस्व अधिकारी संघ
9425465202
★
डा. एस.सी.राय
अध्यक्ष
मेडिकल ऑफिसर संघ
9893880858
★
डा.वाई.सी.दीक्षित
अध्यक्ष
प्रांतीय राजपत्रित पशु
चिकित्सा अधिकारी
संघ
9993057042

पत्र क्र./सं.मो./ 59 अनूपपुर,दिनांक- 27.10.22

प्रति,

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
म.प्र. शासन भोपाल

विषय– अनूपपुर जिले के अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा अधिकार विहीन की जा रही अपराधिक एवं जांच की कार्यवाहियों से भययुक्त रखने बाबत्।

द्वारा– श्रीमान कमिश्नर महोदय शहडोल, संभाग शहडोल।

विषयांतर्गत उल्लेख कर हम सभी अधिकारी/कर्मचारी संघ के जिला पदाधिकारी संयुक्त मोर्चा अधिकारी/कर्मचारी संघ जिला अनूपपुर इकाई के तत्वाधान में संयुक्त होकर निम्न बिन्दुओं पर श्रीमान का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं–

1. यह कि दिनांक 22.05.2022 को सुश्री मीना कोरी सहायक, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण, जिला अनूपपुर एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिजुरी के विरूद्ध विभागीय विषयों से संबंधित मामले में बिना किसी विभागीय जांच अथवा प्रशासनिक अनुमोदन के अध्यक्ष नगर पालिका बिजुरी के शिकायत पर थाना बिजुरी में रात्रि 11 बजे FIR दर्ज की गई जबकि सामान्य **प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 05.05.2022 अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 अ अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन अनिवार्य है।** सुश्री कोरी अनुसूचित जाति वर्ग द्वितीय श्रेणी की राजपत्रित अधिकारी हैं। सुश्री कोरी द्वारा दिनांक 27.04.2022 एवं 15.07.2022 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर के समक्ष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के संबंध में जांच कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की मांग की गई थी। जिसमें आज दिनांक तक कोई सार्थक पहल नहीं हुई। सुश्री कोरी द्वारा इस संबंध में कलेक्टर अनूपपुर को भी एक आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2022 को प्रस्तुत किया गया था जो कि अनुसूचित जाति वर्ग द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हैं।

2. यह कि डा. बीर सिंह क्रहोलिया, पशु चिकित्सा अधिकारी राजनगर के विरूद्ध डेयरी एवं पशुपालन विभाग के हितग्राहीमूलक योजना बकरी इकाई के संबंध में की गई शिकायत पर बिना विभागीय कार्यवाही की प्रतीक्षा किये जरिये सूचना पत्र अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशों के पालन में थाने में व्यक्तिगत उपस्थिति लगाई जाती रही जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होने के साथ–साथ अपमानित होना पड़ा तथा बिना तथ्य के शासकीय दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार–बार

CS 27/10

Scanned with CamScanner

संयुक्त मोर्चा

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिला-अनूपपुर

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
श्री कमलेश पुरी एस.डी.एम. 7587966204	डा.व्ही.पी.एस.चौहान उपसंचालक,पशुपालन 9009243656	श्री बी.पी.तिवारी 9425831839

डा.व्ही.पी.एस.चौहान
अध्यक्ष
म.प्र.राजपत्रित अधिकारी संघ
9009243976
★
श्री विजय डेहरिया
अध्यक्ष
राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ
8827011150
★
श्री बी.पी.तिवारी
अध्यक्ष
म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ
9425808980
★
श्री डी.आर.बांधव
अध्यक्ष
अज्जाक्स संघ
9425854466
★
श्री भागीरथी लहरे
अध्यक्ष
राजस्व अधिकारी संघ
9425465202
★
डा. एस.सी.राय
अध्यक्ष
मेडिकल ऑफिसर संघ
9893880858
★
डा.वाई.सी.दीक्षित
अध्यक्ष
प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा अधिकारी संघ
9993057042

पत्र क्र./सं.मो./ अनूपपुर,दिनांक- 27.10.22

सूचना पत्र जारी किये गये प्राप्त शिकायत विभागीय विषय संबंधित थी एवं जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा रही थी। जिसमें अगर कोई अपराधिक प्रवित्ति का विनिश्चय होता तो पुलिस को कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्देश प्रसारित किये जाते।

3. यह कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्व विद्यालय पोंड्की (अमरकंटक) जिला–अनूपपुर के प्रोफेसर श्री देवी जो आई.सी.एम.आर. में सिकलसेल एनीमिया की विशेषज्ञ हैं एवं रजिस्ट्रार को भी अप्रमाणित एवं दुर्भावनापूर्वक की गई शिकायतों के आधार पर बार–बार नोटिस देकर थाने मे तलब किया गया एवं बिना तथ्य के शासकीय दस्तावेज और साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया गया। इस प्रकार निरंतर विभिन्न निराधार शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विश्व विद्यालय के अन्य अध्यापन संवर्ग के अधिकारियों को भी निरंतर नोटिस पर कुलपति एवं रजिस्ट्रार द्वारा अत्यंत चिंता एवं खेद प्रकट किया गया एवं विभागीय मामलों पर शिकायत की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर ही कराने का मांग करते हुए, पुलिस से भयमुक्त रखने की मांग की गई है।

4. यह कि राम नरेश गिरी जिला लोक अभियोजना अधिकारी द्वारा अपराध क्रमांक 130/22 की स्क्रुटनी से झल्लाकर होकर श्री बी.एन. प्रजापति थाना प्रभारी चचाई द्वारा कोतवाली अनूपपुर में झूठी शिकायत की गई कि जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा जातिगत गाली–गलौच एवं धक्का–मुक्की की गई है, थाना प्रभारी चचाई की जांच पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को सौंपी गई जिनके द्वारा श्री गिरी को कथन देने हेतु दिनांक 24.08.2022 को उपस्थित होने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज किये जाने पर भी अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ द्वारा जिला अभियोजनाअधिकारी को बार–बार नोटिस दिया गया है। यदि जांच विभागीय कार्यवाही बाबत है, तब उक्त जांच कलेक्टर अनूपपुर या संचालक लोक अभियोजन विभाग भोपाल द्वारा ही आदेशित की जानी थी। इसी प्रकार थाना अमरकंटक के अपराध क्रमांक 72/22 में जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपूर्ण विवेचना पूर्ण कराने पश्चात समस्त साक्ष्य प्रकरण में संकलित कराने हेतु लेख किया गया। साथ ही जिले के अन्य थानों में भी साक्ष्य संकलन व पूर्ण विवेचना किये जाने हेतु जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्राचार किया गया। इन सभी कारणों से जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारियों की तरफ से भय की आशंका व्यक्त की गयी जो कि अत्यंत गंभीर बिन्दु है कि जिम्मेदार पदीय दायित्वों का निर्वहन भयमुक्त परिवेश में ही संभव है।

5. यह कि शासन के प्रशासनिक एवं विभागीय कार्य करते हुए प्राप्त झुठी शिकायतों के संदर्भ में अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की जा रही जांच की कार्यवाहियों में दिनों–दिन बढ़ोत्तरी पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अनूपपुर के निर्देशानुसार की जा रही है,

Scanned with CamScanner

संयुक्त मोर्चा

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिला-अनूपपुर

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
श्री कमलेश पुरी	डा.व्ही.पी.एस.चौहान	श्री बी.पी.तिवारी
एस.डी.एम.	उपसंचालक,पशुपालन	9425831839
7587966204	9009243656	

डा.व्ही.पी.एस.चौहान
अध्यक्ष
म.प्र.राजपत्रित अधिकारी संघ
9009243976

श्री विजय डेहरिया
अध्यक्ष
राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ
8827011150

श्री बी.पी.तिवारी
अध्यक्ष
म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ
9425808980

श्री डी.आर.बांधव
अध्यक्ष
अज्जाक्स संघ
9425854466

श्री भागीरथी लहरे
अध्यक्ष
राजस्व अधिकारी संघ
9425465202

डा. एस.सी.राय
अध्यक्ष
मेडिकल ऑफिसर संघ
9893880858

डा.वाई.सी.दीक्षित
अध्यक्ष
प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सा अधिकारी संघ
9993057042

पत्र क्र./सं.मो./ अनूपपुर,दिनांक- 27.10.22

जो अनुचित है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 05.05.2022 अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 "अ" अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो तथा सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी बिना भय के पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर शासकीय कार्य संपादित कर सकें इसलिए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को उचित दिशा निर्देश दिये जाने का संयुक्त मोर्चा संघ अंतर्गत सभी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संघ अनुरोध करता है।

धन्यवाद

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–

1. प्रान्ताध्यक्ष, ... संघ, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु सअनुरोध प्रेषित।

(Kamlesh Puri) (Dr VPS Chauhan) B.P. Tiwari

Vijay Deharya, Dr S.C. Rai, Deepak Tiwari, Neelesh Singh

D.R. Bandhav, Dr Y.C. Dixit

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-10-16-98/1-15 क.के.भोपाल दिनांक 05.09.1998 के अनुगामी आदेशानुसार संघ के पत्रों का उत्तर देना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner